पी.ए.बी.एक्स / PABX: 26588980. 26588707.26589336,26589745

26589873, 26589414

ेहर / FAX : 011-26588662, 011-26859791, 011-26589258

तार/GRAM: विज्ञानी/SCIENTIFIC web-site: www.icmr.nic.in

E-mail: icmrhqds@sansad.nic.in



## भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

# INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ( स्वास्थ्य एवं परिवार्र कल्याण मंत्रालय ) DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH ( MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

वी. रामलिंगरवामी भवन,अन्सारी नगर,पोस्ट बॉक्स 4911,नई दिल्ली-110 029 V.RAMALINGASWAMI BHAWAN,ANSARI NAGAR, POST BOX-4911, NEW DELHI-110029

No. 18/6/2013-Admn.-II

Dated: 22.11.2013.

To,

The Directors/Director-in-Charge of all Institutes/Centers of the Council.

Subject: Notification regarding Indian Administrative Service (Dealth-cum-retirement-Benefits) Amendment Rules, 2013
Sir/Madam.

I am directed to send herewith a copy of Notification No. 29018/16/2012-AIS-II dated 22.8.2013 received from Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, New Delhi for your information and necessary action.

Yours faithfully,

17 2/14/1:

(Bharat Bhushan) Administrative Officer for Director General

## No.29018/16/2012-AIS-II Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training

DG, ICMR OFFICE DIARY NO. 9029 DATE: 4/11//3 North Block, New Delhi-110001 Dated, the 22<sup>nd</sup> August, 2013.

To

The Chief Secretaries of all the State Governments and UTs.

Subject: Notification regarding Indian Administrative Service (Death-cum-retirement-Benefits) Amendment Rules, 2013.

Sir/Madam,

Encl:-As above.

I am directed to forward herewith a copy of Indian Administrative Service (Death-cum-retirement - Benefits) Amendment Rules, 2013 notified in the Gazette of India (extraordinary) vide G.S.R. No.492(E) dated 12.07.2013, for necessary action.

pa(A)

Yours faithfully.

Manoj Kumar Dwivedi Director(Services)

Copy for information and necessary action to:-

- All Ministries/Departments of Government of India. 1.
- NIC, DOPT with the request to put on this circular on the website 2. (Home page > Gazette Notification > Services & Vigilance > Services Division).



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2013/आषाढ़ 27, 1935

No. 3591

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2013/ASHADHA 27, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2013

सा.का.नि 492(अ) .—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, नामत::—

- 1. (1) इन नियमों को अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2013 कहा जा सकेगा।
  - (2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ये नियम प्रवृत्त होंगे
- 2. अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्युं सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 (इसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 2, उप-नियम (I)-की धारा (क) के लिए निम्निलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :-
- (क) "लेखा अधिकारी" से अभिप्राय किसी भी पदनाम के उस अधिकारी से है जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश के किसी मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय का लेखा जोखा रखता है और जिसमें वह महालेखाकार शामिल होता है, जिसे केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के लेखा अथवा लेखा के भाग का लेखा जोखा रखने के कार्य सौंपा जाता है।

3171 GI/2013

्राप्त (क्षाक) में दिव्यपद (जा) के फ्रब्युक निम्नितिखित को जोड़ा जाएगा, नामत: :-१ के किए के देने उपात के प्रापति हैं को कवाई हैका के अंतिम 10 महीनों के दौरान अर्जित अवकाश राज्य के कार्य केंक कुछि कविंक की, जिसे दोका कहीं गया था, ऐसी वेतन वृद्धि यद्यपि वास्तव में १

१९% वर्त को पेड़े को कर हुने से एस गरिसक्थियों ने शामित दर लिया जॉएगा :

हरती कि अतिक कारणा राष्ट्र हिन से अधिक होने से पूर्व अथवा पहले 120 दिनों के का कर्तिक की गई को जहाँ वह जुड़ी एक माँ गीस दिन से अधिक हो";

इरश (यह) के लिए जिल्लिखित की पुरास्थापित किया जाएगा, नामत्:-

्रिका करिलाकियाँ से अधिष्ठार पूर्व देताय, जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (देवन) विषय 2007 के नियम 2 की धारा (कक) में परिभाषित किया गया हो तथा भारतीय पुलिस सेवा अथवा भारतीय वन सेवा हेतु बनाए गए अन्य संगत नियमों, जैसा भी मामला हो, की सेवा का सबस्य अपनी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु, जो भी मामला हो, से पूर्व प्राप्त कर रहा

(1 अनवरी, 2006 से) सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु उपदान की गणना के प्रयोजनार्थ कि किया से तात्पर्य भूल वेतन एवं महगाई भत्ते से है जो सेवा का सदस्य अपनी के किया अथवा उसकी मृत्यु की तिथि, जो भी मामला हो, को प्राप्त कर रहा था:

बशर्ते कि उनकी पेंशन और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक भेजर (वेतन) नियम, 2007 (पूर्व-संशोधित) और भारतीय पुलिस सेवा अथवा भारतीय वन सेवा केनु बनाए यह संशत नियमों जैसा भी यामला हो, के संदर्भ में पूर्व संशोधित वेतनमान में वेतन कार्योग करना जारी रखने का विकल्प दिया हो और 1 जनवरी, 2006 अथवा उसके बाद पूर्व हो केविट वेत्रवर्णन में सेवानिवृत्त हो गए हों, को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:

्रिल्डिशों में औसत एआईसीपीआई (आधार वर्ष 1982-100) तक महिगाई वेतन

ं विल्लिक्शियों के 50% अथवा औसत परिलब्धियों के रूप में परिकलित पेंशन जो भी

संकित धारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन, नियम, 2013 के लागू हो के ही पूर्व लागू लाहेश के अंतर्गत उपर्युक्त (i) और मंहगाई भन्ने की परिलब्धियों के संदर्भ में पूर्व पह सेवानिवृत्ति उपदान देय होगा। पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याय विभाग के कार्यालय क्या 45/38/97-पीएडपीडब्ल्यू(ए)(भाग-1) दिनांक 27-10-1997 के संदर्भ में उपदान के कार्य है 3.50.500 रुपए से अधिक नहीं होगी।

- (iv) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन, नियम, 2013 के लागू होने के ठीक पहले लागू आदेशों के अनुसार पेंशन सारांशीकरण देय होगा।
- (v) अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन, नियम, 2013 के पूर्व में लागू आदेशों के अनुसार पारिवारिक पेंशन की अनुमति दी जाएगी और पूर्व संशोधित वेतनमान में मूल वेतन के इनर्श के साथ इसकी गणना की जाएगी और इस प्रकार से परिकलित परिवार पेंशन, पेशन तथा पेंशनकोड़ी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/2/2006/ पीएवंशीसक्यू (सी) व निहित कर पर एकाईसीपीआई 536 (आधार वर्ष 1982-100) की कौसत तक प्रकार राज्य की ज्याना की जाएगी और इस प्रकार परिकलित राशि को

ए<mark>आईसीपीआई 5</mark>00 की जोसद ने तर्भर नहुंचाई प्रदास कर पुल्यान ते कि तर है के हैं। के प्रियम प्रेशन आगा आएस ।

- (क) संशोधित वेतन ढांचे में आहरित वंतन की वामि के वामि के वौरान निर्धारित वेतन बैंड और लागू ग्रेड वेतन अथवा एचएकी अधिर उपर के यामले में वेतनमान में काहरित वेतन ।
- (ख) शेष अवधि के लिए जिसमें पूर्व-तशोदित बेसनशान में बेसन बाहरित किया जाता है-
  - (i) संबंधित अवधि के दौरान साहरित एक जनवरी, 2003 की विवत्ति के अनुसार लागू दरों पर मूल वेतन के उपयुक्त नूल बेतन~मंहगाई बेलन तथा जास्तविक मंहगाई भता;
  - (ii) पूर्व संशोधित बेतनसान में मूल बेतन पर 40% के फिटमेंट लाभ की लागू कर मूल वेतन की नोशनल वृद्धि :
- (घ) खण्ड (छ) हेतु निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया लाए, नावतः :--
- "(छ) "वेतन" से अभिष्राय सेवा के सदस्य द्वारा आसिक रूप से वेतन के कर में वेतन के कर में वेतन के कर में वेतन के जमा ग्रेड वेतन अथवा सेवा से सेवानिवृत्ति के समय इसके द्वारा धारित पर के लिए पिशोध वेतन के अलावा वेतनमान में आहरित राशि हैं;
- 3. उक्त नियमों के नियम 4 के लिए निय्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः :—
  - (1) सेवा का कोई सदस्य एक ही यद पर एक साथ या उसी निस्तर सेवा द्वारा हो पेशन अर्जित नहीं कर सकता।
  - (2) नियम 8 के उप-नियम (4) में किए गए प्रावधान को छोड़कर, अधिवर्षिता पेशन या सेवानिवृत्ति पेशन पर सेवानिवृत्त होने वाला और तदुपरात पुनानियुक्ति पाने वाला सेवा का कोई सदस्य उसकी पुन:नियुक्ति की अवधि पर किसी पृथक पेशन या उपदान (ग्रैच्युटी) का पात्र नहीं होगा।
- 4. उक्त नियमों के नियम 5क में, उप-नियम (3) में शब्द, आंकड़े और "या 22ख, जैसा भी मामला हो." शब्दों का लोग किया जाना चाहिए।
- 5. उंक्त नियमों के नियम 6 में, उप-नियम (1) में, टिप्पण-1 के लिए, निम्नलिखित श्रीतेस्थापित किया जाए, नामत::-

"टिप्पण-1 - जब पेंशन का कोई अंश रोका जाता है या बापम लिया जाता है तो ऐसे पेंशन की राशि प्रति माह तीन हजार पांच सौ रुपए या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के समनुरूपी नियमों के तहत किए गए प्रावधान की गई दरों से नीचे नहीं घटानी चाहिए।

- 6. उक्त नियमों के नियम 7 में, उप-नियम (2) में, शब्द, अंक और अक्षर "22क या 22ख, जैसा भी मामला हो," शब्द और अक्षर "22" शब्द का प्रतिस्थापन किया जाए।
- 7. उक्त नियमों के नियम 8क का लोप किया जाएगा।

- ह. उक्त नियमों के नियम 13 में, उप-नियम (2) में शब्द, अंक और अक्षर "अथवा 22ख" का लोप किया जाएगा।
- 9. उक्त नियमों के नियम 18 में :---
  - (क) उप-नियम (1), -
    - (क) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाए, नामत: :---
    - "(कक) सेवानिवृत्ति की तारीख पर देय मंहगाई भत्ते को भी इस नियम के उप-नियम
    - (1) (क) के प्रयोजन से परिलब्धियाँ माना जाए।
- (क्व) खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :---
  - "(ख) यदि सेवा का सदस्य, दस वर्ष की अर्हता सेवा पूर्ण करने के पश्चात् इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवा से सेवानिवृत्त होता है, पेंशन की राशि का परिकलन परिलब्धियों का पचास प्रतिशत पर अथवा औसत परिलब्धियों, जो भी उसके लिए अधिक लाभकरी हो, पर किया जाएगा, जो न्यूनतम तीन हजार पांच सौ रुपए प्रति मैनसेम तथा अधिकतम पैतालीस हजार रुपए प्रति मैनसेम के अधीन रहेगी";
- (अ) उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियमों को रखा जाएगा, नामतः :—
  "18. (1-क) अस्सी वर्ष अथवा इससे अधिक की आयु पूरा करने के पश्चात्, उप नियम (1) के खण्ड (ख) के अनुसार मान्य पेंशन के अतिरिक्त, अतिरिक्ति पेंशन निम्नलिखित विधि में सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य को भुगतेय होगीः—

पेंशनभोगी की आयु	अतिरिक्त पेंशन
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम की आयु तक	मूल पेंशन का 20%
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम की आयु तक	मूल पेंशन का 30%
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम की आयु तक	मूल पेंशन का 40%
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम की आयु तक	मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष और अधिक	मूल पेंशन का 100%

स्पष्टीकरणः— इस नियम के प्रयोजनार्थ, अर्हता सेवा की अवधि का परिकलन करने में, तीन माह या इससे अधिक की अवधि के अंश को पूर्ण अर्ध-वर्ष के रूप में माना जाएगा तथा उसे अर्हता सेवा के रूप में गिना जाएगा।";

- (ग) द्वितीय परन्तुक में, उप-नियम (2) में, नियम 22 (ख) का उप-नियम (2), शब्दों, कोष्ठक, अंकों एवं अक्षरों के लिए नियम 22 के उप-नियम (2) (iii) के शब्द, कोष्ठक, अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 10. उक्त नियमों के नियम 19 में,---
  - (क) हाशिए के शीर्षक के लिए, निम्नलिखित हाशिए के शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—
  - "19. सेवानिवृत्त अथवा मृत्यु उपदान।"
  - (ख) उप-नियम 3 (क) (i) के परन्तुक में, "तीन लाख एवं पचास हजार रुपए" शब्दों के लिए, "रुपए दस लाख" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) उप-नियम 3 (क) (ii) के परन्तुक में, निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :--

"बशर्ते कि इस खंड के अन्तर्गत देय सेवानिवृत्ति उपदान की राशि किसी भी स्थिति में रुपए घस लाख से अधिक नहीं रहेगी।"

उक्त नियमों में, नियम 22, 22-क, 22-ख, एवं 22-ग के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:---

### "22. परिवार पेंशनः :--

- इस नियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू होंगे,-
  - 1 जनवरी, 1964 को अथवा इसके पश्चात् सेवा में नियुक्त किया गया सेवा का सदस्य: तथा
  - सेवा का ऐसा सदस्य जो 31 दिसम्बर, 1963 को सेवा में था तथा जिसने केन्द्र (国) सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत इस नियम के लाभों का विकल्प दिया

टिप्पण:- इस नियम के प्रावधान, 22 सितंबर, 1977 से, उन सदस्यों के लिए भी लागू होंगे, जो 31 दिसंबर, 1963 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए अथवा जिनकी मृत्यु हो गई, उनके लिए भी लागू होंगे जो 31 दिसंबर, 1963 को जीवित थे परन्तु जिन्होंने 1964 स्कीम से बाहर रहने का विकल्प दिया था।

- (2) उप-नियम (5) में, समाविष्ट प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां सेवा के सदस्य की मत्यु :--
- (i) सतत् सेवा का एक वर्ष पूरा करने के पश्चात; अथवा
- (ii) सतत् सेवा का एक वर्ष पूरा करने के पूर्व बशर्ते की संबंधित सेवा के दिवंगत सदस्य की सेवा अथवा पद में उसकी नियुक्ति के वस्काल पूर्व उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी तथा प्राधिकारी द्वारा सरकारी सुवा के लिए योग्य घोषित किया गया था; अथवा

(iii) सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् तथा मृत्यु की तिथि को पेंशन अथवा इन नियमों में उल्लिखित प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त कर रहा था,

दिवंगत का परिवार राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार कर्मचारी, 1964 के लिए परिवार पेंशन स्कीम के तहत परिवार पेंशन का हकदार होगा, जिसकी राशि का निर्धारण मूल वेतन के 30% की एक समान दर पर किया जाएगा जो न्यूनलम तीन हजार पांच सौ रुपए प्रति मैनसेम तथा अधिकतम सत्ताइस हजार रुपए प्रति मैनसेम के अधीन रहेगा।

स्पष्टीकरणः—इस नियम में जहां कहीं भी 'सतत् सेवा का एक वर्ष' अभिव्यक्ति का उल्लेख किया गया है, वहां इसका अर्थ होगा कि खण्ड (ii) में यथाउपबंधित 'सतत् सेवा का एक वर्ष से कम' सम्मिलित है।

परिवार पेंशन की राशि मासिक दर पर नियत की जाएगी तथा पूर्ण रुपए में अभिव्यक्त की जाएगी तथा जहां परिवार पेंशन में एक रुपए का अंश समाविष्ट रहेगा, वहां इसे अगले उच्चतर रुपए में पूर्णीक कर दिया जाएगा।

बशर्ते की किसी भी स्थिति में इस नियम के तहत निर्धारित अधिकतम से अधिक

परिवार पेंशन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. उप-नियम (2), (3) एवं (5) के अनुसार देय परिवार पेंशन के अतिरिक्त, अस्सी वर्ष अथवा अधिक की आयु पूरा करने के पश्चात, अतिरिक्त परिवार पेंशन निम्नानुसार रीति से देय होगी:-

कुटुम्ब पेंशनभोगी की आयु	अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन
80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष से कम आयु तक	मूल कुटुम्ब पेंशन का 20%
85 वर्ष से लेकर 90 वर्ष से कम आयु तक	मूल कुटुम्ब पेशन का 30%
90 वर्ष से लेकर 95 वर्ष से कम आयु तक	मूल कुटुम्ब पेंशन का 40%
95 वर्ष से लेकर 100 वर्ष से कम आयु तक	मूल कुटुम्ब पेंशन का 50%
100 वर्ष अथवा अधिक	मूल कुटुम्ब पेंशन का 100%

- (5) (क) (i) जहां सेवा का ऐसा सदस्य जो कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (1923 का 8) द्वारा अभिशासित नहीं होता है परन्तु 7 वर्ष से कम की सतत् सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में कुटुम्ब को देय कुटुम्ब पेंशन की दर पिछले आहरित वेतन का 50 प्रतिशत के समान रहेगी तथा इस प्रकार मान्य राशि दस वर्षों की अवधि के लिए सेवा के सदस्य की मृत्यु की तिथि के पश्चात की तिथि से देय होगी।
- (ii) सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवा के सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में, में उप-नियम (क) के तहत यथानिर्धारित परिवार पेंशन सात वर्ष की अवधि अथवा उस अवधि के लिए जिस तिथि को सेवा का सेवानिवृत्त दिवंगत सदस्य 67 वर्ष की आयु प्राप्त करता यदि वह जीवित होता, जो भी कम हो, के लिए देय रहेगी:—

बशर्ते कि किसी भी स्थिति में उप खण्ड (ख) के तहत निर्धारित परिवार पेशन की राशि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति पर प्राधिकत पेशन से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते यह भी कि जहां सेवानिवृत्ति पर प्राधिकृत पेंशन की राशि उप नियम

का (2) के तहत देय परिवार पेंशन की राशि से कम है, तो इस खंड के तहत निर्धारित परिवार

पेंशन की राशि को उप नियम (2) के तहत देय परिवार पेंशन की राशि तक सीमित रहेगी।

स्पष्टीकरणः—इस उप खण्ड के प्रयोजन से सेवानिवृत्ति पर प्राधिकृत पेंशन में पेंशन का वह भाग भी सम्मिलित होगा जिसे सेवानिवृत्त सदस्य ने अपनी मृत्यु से पूर्व परिणत किया होता।

- (ख) खंड (क) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात उस खंड के तहत परिवार पेंशन प्राप्त करने वाला परिवार उप नियम (2) के तहत देय दर पर परिवार पेंशन का हकदार होगा।
  - (6) जहां असाधारण पेंशन नियमावली, 1939 के तहत पुरस्कार देय है, वहां इस नियम के तहत कोई परिवार पेंशन ऐसे अवार्ड की अवधि के दौरान प्राधिकृत नहीं होगी।

ू (7) जिस अवधि के लिए परिवार पेंशन दी जाएगी वह निम्नानुसार है:-

- पहले परंतुक के अधीन, विधवा या विधुर के मामले में, मृत्यु या पुनर्विवाह की तिथि, जो भी पहले हों, तक;
- (ii) दूसरे परंतुक के अधीन, अविवाहित पुत्र के मामले में, उसके पच्चीस वर्ष की आयु का हो जाने या विवाहित होने या आजीविका कमाना शुरू करने तक, जो भी पहले हो;
- (iii) दूसरे एवं तीसरे परंतुक के अधीन, अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री के मामले में, उसके विवाहित होने या पुनर्विवाहित होने या आजीविका कमाना शुरू करने तक, जो भी पहले हो;

(iv) उप-नियम (12) के अधीन, माता-पिता के मामले में, जो मृत्यु से ठीक पहले तक या जीवनपर्यंत सेवा के सदस्य पर संपूर्ण रूप से आश्रित हों;

अप-नियम (13) और चौथे परंतुक के अधीन, विकलांग सहोदरों (अर्थात् भाई और बहुन) के मामले में, जो मृत्यु से ठीक पहले तक या जीवनपर्यंत सेवा के सदस्य पर संपूर्ण रूप से आश्रित हों:

बशर्ते कि नि:संतान विधवा को पुनर्विवाह होने पर, यदि सभी अन्य स्रोतों से उसकी आय इस नियम के उप-वियम (2) के तहत न्यूनतम परिवार पेंशन और उस पर देय महगाई राहत से कम है तो उसे परिवार पेंशन जारी

रखी जाएगी।
पुन: इस शर्त के अधीन कि सेवा के सदस्य का पुत्र या पुत्री किसी नि:शक्तता या मंद बुद्धि के साथ-साथ मानसिक विकलांगता से पीड़ित है या शारीरिक रूप से अपंग है या इस हद तक विकलांग है कि पच्चीस वर्ष का होने के बाद भी वह अपनी आजीविका नहीं कमा सकता, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन उस पुत्र या पुत्री को आजीवन परिवार पेशन का भुगतान किया जाएगा नामत: :—

(i) यदि वह पुत्र या पुत्री सेवा के सदस्य के दो या अधिक बच्चों में से एक हैं, शुरू-शुरू में इस नियम के उप-नियम (9) के खंड (iii) में निर्धारित किए गए अनुसार अंतिम बच्चे के पच्चीस वर्ष के होने तक परिवार पेंशन अवयस्क बच्चों [इस उप-नियम के खंड (ii) या खंड (iii) में उल्लिखित किए गए अनुसार] को देय है और इसके बाद परिवार पेंशन नि:शक्त या मंद बुद्धि के साथ-साथ मानसिक विकलांगता से पीड़ित या शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग पुत्र या पुत्री के पक्ष में जारी रखनी चाहिए और यह आजीवन देय होनी चाहिए;

(ii) यदि, एक से अधिक पुत्र या पुत्री हैं जो नि:शक्त या मंद बुद्धि के साथ-साथ मानसिक विकलांगता से पीड़ित या शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग हैं, तो परिवार पेंशन उनके जन्म के क्रम में देय होगी और सबसे कनिष्ठ को उस समय तक परिवार पेंशन मिलेगी जब उससे आयु में ज्येष्ठ सहोदर पेंशन के लिए पात्र नहीं रह जाता/जाती है;

बशर्ते कि ऐसे जुड़वा बच्चों को परिवार पेंशन का भुगतान करने के मामले में, जैसा कि इस नियम के उप-नियम (8) के खंड (घ) में निर्धारित रीति अपनाई जाएगी;

(iii) शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग पुत्र या पुत्री जो वयस्क हो गए हैं के मामले को छोड़ कर ऐसे अवयस्क पुत्र या पुत्री को अभिभावक के माध्यम से परिवार पेंशन का भुगतान किया जाएगा जैसे वे अवश्यक हों;

(iv) ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन की स्वीकृति देने से पहले, नियोक्ता परिवार पेंशन की स्वीकृति देने से पहले, नियोक्ता प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करेगा कि विकलांगता की प्रकृति ऐसी है जिससे वह अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है और चिकित्सा अधीक्षक या संस्थान का प्राध्यापक या निदेशक या अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में उसका नामिति और अन्य दो सदस्यों जिनमें से कम-से-कम एक मंद बुद्धि के साथ-साथ मानसिक या शारीरिक विकलांगता के क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, वाले एक चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त प्रमाण पत्र के माध्यम से इसका प्रमाणन किया जाना चाहिए जिसमें जहां तक संभव हो, बच्चे की मानसिक या शारीरिक स्थिति का सटीक निर्धारण होना चाहिए।

(v) ऐसे पुत्र या पुत्री के अभिभावक के रूप में परिवार पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति या ऐसे पुत्र या पुत्री जो परिवार पेंशन अभिभावक के माध्यम से प्राप्त नहीं करता/करती है को स्थायी विकलांगता के मामले में एक बार और अस्थायी विकलांगता के मामले में पांच वर्षों में एक बार विकलांगता चिकित्सा अधीक्षक या संस्थान को प्रधान या निदेशक या अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में उसकी नामिति और अन्य दो सदस्यों, जिनमें से कम से कम एक मद बुद्धि के साथ-साथ मानसिक या शारीरिक विकलांगता के क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करनों होगा कि वह मानसिक

गड़बड़ी या विकलांगता से पीड़ित है और शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग बना हुआ है;

(vi) मंद बुद्धि, वाले पुत्र या पुत्री के मामले में, सेवा के सदस्य या पेंशनभोगी, जैसा भी मामला हो, द्वारा नामित किए गए व्यक्ति को परिवार पेंशन दी जाएगी। यदि सेवा के सदस्य या पेंशनभोगी से उसके जीवनकाल में कार्यालय अध्यक्ष को ऐसा कोई नामांकन प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे मामले में सेवा के सदस्य या पेंशनभोगी, जैसा भी मामला हो, के पित या पत्नी द्वारा नामित व्यक्ति को, बाद में ओटिजम, सेरेबल पालसी, मेंटल रिटार्डेशन और बहु विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों को परिवार पेंशन प्रदान करने हेतु अभिभावक के नामांकन या नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 की सं. 44) की धारा 14 के तहत उक्त अधिनियम में उल्लिखित के अनुसार स्थानीय स्तर की समिति द्वारा जारी किया गया संरक्षकता प्रमाणपत्र स्वीकार्य है:

पुन: इस शर्त के अधीन कि यदि अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री को पच्चीस वर्ष की आयु के बाद या उसके विवाहित होने तक या पुनर्विवाह तक या उसके द्वारा आजीविका कमाना शुरू करने तक, जो भी पहले हो, तक परिवार पेंशन का प्रदान करना या जारी रखना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, नामत: :—

- (i) इस नियम के उप-नियम (9) के खण्ड (ii) में निर्धारित किए गए क्रम के अनुसार शुरू-शुरू में परिवार पेंशन का भुगतान, सबसे छोटे अवयस्क संतान के पच्चीस वर्ष के होने तक, अवयस्क संतानों [जैसा कि इस उप-नियम के खंड (ii) या खंड (iii) में उल्लेख किया गया है] को किया जाएगा; और
- (ii) इस उप-नियम के दूसरे परंतुक के अनुसार कोई विकलांग संतान परिवार पेशन प्राप्त करने का पात्र नहीं है:

पुन: इस शर्त के अधीन कि सेवा के सदस्य या पेंशनभोगी का पुत्र या पुत्री कोई नि:शक्तता या (मंद बुद्धि के साथ-साथ) मानसिक विकलांगता से पीड़ित है या इस हद तक शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग है कि पच्चीस वर्ष का/की होने के बाद भी वह अपनी आजीविका कमा नहीं सकता/सकती के मामले में इस नियम में यथानिर्धारित समान रीति एवं समान नि:शक्तता मानदंड का अनुसरण करते हुए नि:शक्त सहोदर पारिवारिक पेंशन के पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण 1- इस उप-नियम के अंतर्गत, नि:शक्त पुत्र या पुत्री को छोड़ कर कोई अविवाहित पुत्र या अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री, उसके विवाह या पुत्रविवाह की तारीख से परिवार पेंशन के लिए अपात्र हो जाएंगे।

स्पष्टीकरण 2- ऐसे पुत्र या पुत्री या अभिभावकों या सहोदरों को देय परिवार पेंशन उस समय बंद कर दी जाएगी जब वह या वें अपनी आजीविका कमाना शुरू कर देंगे।

स्पष्टीकरण 3 - पुत्र या पुत्री या सहोदरों या अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वे प्रति वर्ष राजकोष या बैंक, जैसा भी मामला हो, को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि (i) उसने अपनी आजीविका कमानी शुरू नहीं की है, और (ii) उसने विवाह या पुनर्विवाह नहीं किया है और संतानरहित विधवा द्वारा अपने पुनर्विवाह के बाद या नि:शक्त पुत्र या पुत्री द्वारा या अभिभावक द्वारा प्रतिवर्ष राजकोष या बैंक, जैसा भी मामला हो, में इस आशय का समान प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है कि उसने/उन्होंने अपनी आजीविका कमानी शुरू नहीं की है।

स्पष्टीकरण 4 - इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, परिवार के किसी सदस्य को उस स्थिति में अपनी आजीविका कमाने वाला/वाली माना जाएगा जब किसी अन्य स्रोतों से उसकी आय इस नियम के उप नियम (2) के तहत न्यूनतम परिवार पेंशन और उस पर देय महगाई राहत के समान या इससे अधिक हो।

स्पष्टीकरण 5 - अभिभावकों को सेवा के सदस्य का आश्रित माना जाएगा यदि उनकी संयुक्त आय इस नियम के उप नियम (2) के तहत न्यूनतम परिवार पेंशन और उस पर देय महंगाई राहत से कम हो।

स्पष्टीकरण 6 - नि:शक्त सहोदरों को सेवा के सदस्य का आश्रित माना जाएगा यदि उनकी आय इस नियम के उप नियम (2) के तहत न्यूनतम परिवार पेंशन और उस पर देय महगाई राहत से कम हो।

स्पष्टीकरण 7 - नि:संतान विधवा को देय परिवार पेंशन, उसके पुनर्विवाह के पश्चात्, सभी अन्य स्रोतों से उसकी आय इस नियम के उप नियम (2) के तहत न्यूनतम परिवार पेंशन और उस पर देय महंगाई राहत के बराबर या इससे अधिक हो जाने की स्थिति में समाप्त की जाएगी।

(8) (क) (i) ऐसे मामले में जहां एक से अधिक विधवाओं को परिवार पेशन देय होती है, तो विधवाओं को समान

हिस्सों में परिवार पेंशन देय होगी।

(ii) किसी विधवा की मृत्यु हो जाने पर, उसके हिस्से की परिवार पेंशन उसके पात्र संतान को देय होगी।

बशर्ते कि यदि विधवा के कोई संतान नहीं हैं, तो उसके हिस्से की परिवार पेंशन समाप्त नहीं की जाएगी बल्कि उसका भुगतान अन्य विधवाओं को समान हिस्सों में किया जाएगा, या ऐसी अन्य विधवा यदि केवल एक है तो उसे पूरी पेशन देय होगी।

जहां सेवा के पेंशनभोगी सदस्य की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा उत्तरजीवी हो लेकिन दूसरी पत्नी जो जीवित न हो से उत्पन्न हुआ पात्र बच्चा या बच्चे जो वह अपने पीछे छोड़ गया हो तो पात्र बच्चा या बंच्चे परिवार पेंशन, जो उनकी मां प्राप्त करती यदि वह सेवा या पेंशनभोगी सदस्य की मृत्यु के समय

जीवित होती, के हिस्से के हकदार होंगे।

बशर्ते कि परिवार के पेंशन के ऐसे भाग का भुगतान ऐसे बबच्चे या बच्चों या विधवा या विधवाओं को न किया जाना हो, तो ऐसा भाग व्यपगत नहीं होगा, अपित यह समान भागों में अन्यथा पात्र अन्य विधवा या विधवाओं या अन्य बच्चे या बच्चों को देय होगा या अगर एक ही विधवा या बच्चा हो तो उसे पूर्ण रूप से देय होगा।

(ग) जहां सेवा के दिवंगत पेंशनभोगी सदस्य या पेंशनभोगी किसी विधवा द्वारा उत्तरजीवी हो लेकिन अपने पीछे तलाकशुदा या अवैध रूप से विवाहित पत्नी या पत्नियों से पात्र बच्चा या बच्चे अपने पीछे छोड़ गया हो तो पात्र बच्चा या बच्चे परिवार की पेंशन के भाग के हकदार होंगे जिसे मां जो तलाकशुदा न होती या वह वैध रूप से विवाहित होती तो दिवंगत सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु पर प्राप्त करती।

बशर्ते कि परिवार के पेंशन के ऐसे भाग का भुगतान ऐसे बच्चे या बच्चों या विधवा या विधवाओं को न किया जाना हो, तो ऐसा भाग व्यपगत नहीं होगा, अपितु यह समान भागों में अन्यथा पात्र अन्य विधवा या विधवाओं या अन्य बच्चे या बच्चों को देय होगा या अगर एक ही विधवा या

बच्चा हो तो उसे पूर्ण रूप से देय होगा।

पूर्व के मामलों में, पिछले हितालाभ प्राप्तकर्ता से कोई वसूली नहीं की जानी चाहिए। किसी अपात्र मां से उत्पन्न सेवा या पेशनभोगी सदस्य के पात्र बच्चे या बच्चों से आवेदन प्राप्त होने पर परिवार के पेंशन के बंटवारे के संबंध में निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के सत्यापन एवं आवेदक की हकदारी के विषय में स्वयं सन्तुष्ट होने पर लिया जाएगा।

(घ) जहां परिवार पेंशन जुड़वां बच्चों को दी जानी हो वहाँ यह ऐसे बच्चों को समान भागों में अदा

की जाएगी।

बशर्ते कि जब एक ऐसा बच्चा पात्र नहीं रह जाता तो उसका हिस्सा दूसरे बच्चे को दिया जाएगा एवं जब उन दोनों में से कोई भी पात्र न हो तो परिवार पेंशन अगले पात्र इकलौते बच्चे या जुड़वां बच्चों को अदा की जाएगी।

(9)(i) उप नियम (8) में दिए गए को छोड़कर, परिवार पेंशन एक ही समय में एक से अधिक सदस्य

को नहीं प्रदान की जाएगी:-

(i) यदि सेवा या पेंशनभोगी दिवंगत सदस्य अपने पीछे विधवा या विधुर छोड़ जाता है तो परिवार पेंशन विधवा या विधुर को देय होगी, जिसके न होने पर पात्र बच्चे को देय होगी;

(ii) बच्चों को परिवार पेंशन उनके जन्म के क्रम में देय होगी और उनमें से छोटा बच्चा परिवार पेंशन का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उससे बड़ा परिवार पेंशन प्रदान करने के लिए अपात्र नहीं हो जाता।

बशर्ते कि जहां पारिवार पेंशन जुड़वा बच्चों को देय हो तो यह इस नियम के उप नियम The second state and the

(8) के खण्ड (घ) में दी गई रीति के अनुसार प्रदान की जाएगी।

- (10) जहां दिवंगत सेवा या पेंशनभोगी सदस्य अपने पीछे एक से अधिक बच्चे छोड़ जाता है तो परिवार का सबसे बड़ा पात्र बच्चा उप नियम (7) के खण्ड (ii) या खण्ड (iii) जैसा भी मामला हो में उल्लिखित अवधि के लिए पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा एवं उस अवधि के समाप्त होने पर अगला बच्चा पारिवारिक पेंशन प्रदान किए जाने का पात्र होगा।
- (11) जहां इस नियम के अंतर्गत परिवार पेशन किसी अवयस्क को प्रदान की जाती है तो यह अवयस्क की ओर से अभिभावक को देय होगी।
- (12) (क) परिवार पेंशन माता-पिता को देय होगी यदि माता-पिता दिवंगत सेवा सदस्य की मृत्य से तत्काल पूर्व पूर्ण रूप से उस पर निर्भर थे एवं दिवंगत सेवा सदस्य का कोई विधवा या पात्र बच्चों द्वारा उत्तरजीवी न हो।

(ख) परिवार पेंशन, जहां भी माता-पिता को देय हो तो यह मृतक सेवा सदस्य की मां को देय होगी जिसके न होने पर पिता को देय होगी।

(13) परिवार पेंशन आश्रित विकलांग सहोदरों को देय होगी यदि सहोदर, दिवंगत सेवा सदस्य के उपर उसकी मृत्य से ठीक पहले पूर्ण रूपेण आश्रित थे एवं दिवंगत सेवा सदस्य की कोई विधवा या पात्र

बच्चे या पात्र माता-पिता न हों।

- (14) यदि पत्नी एवं पति दोनों सेवा सदस्य हो एवं इस नियम के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं और उनमें से एक सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के पश्चात मर जाता है तो दिवंगत की परिवार पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को देय होगी एवं पति या पत्नी की मृत्यु के मामले में उत्तरजीवी बच्चे या बच्चों को दिवंगत माता-पिता के संबंध में नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं के अध्यक्षीन दो परिवार पेंशन प्रदान की जाएगी: नामतः:—
  - (क) (i) यदि उत्तरजीवी बच्चा उप नियम (5) में उल्लिखित दर से दो परिवार पेंशन प्राप्त करने का पात्र है, तो दोनों पेंशनों की राशि पैतालीस हजार रु. प्रति में सेम तक सीमित होगी।
    - (ii) यदि एक परिवार पेंशन उप नियम (5) में उल्लिखित दर से देय नहीं रह जाती और उसके स्थान पर उप नियम (2) में उल्लिखित दर से पेंशन देय होती है तो दोनों पेंशनों की राशि पैंतालीस हजार रु. प्रति मेंसेम तक ही सीमित होगी।

(ख) यदि दोनों परिवार पेंशने उप नियम (2) में उल्लिखित दर पर देय होती हैं तो दोनों

पेंशन की राशि सताईस हजार रु. प्रति मेंसेम तक सीमित होगी।

. 15. जहां सेवा की महिला या पुरूष सदस्य की अपने पीछे कानूनी रूप से अलग हुए पति या विधवा को छोड़ कर मृत्यु हो जाती है और उनका कोई बच्चा या बच्चे न हों तो दिवंगत के संबंध में परिवार पेंशन उत्तरजीवी व्यक्ति को देय होगी।

बशर्ते कि जहां कानूनी रूप से अलगाव व्याभिचार के आधार पर दिया गया हो एवं सेवा सदस्य की मृत्यु ऐसे अलगाव की अवधि के दौरान होती है और यदि उत्तरजीवी व्यक्ति व्याभिचार को दोषी हो तो परिवार पेंशन उत्तरजीवी व्यक्ति को देय नहीं होगी।

(16) (क) जहां महिला सेवा सदस्य या पुरूष सेवा सदस्य की अपने पीछे कानूनी रूप से अलग पति या विधवा बच्चे या बच्चों के साथ को छोड़कर मृत्यु हो जाती है दिवंगत के संबंध में देय परिवार पेंशन उत्तरजीवी व्यक्ति को देय होगी बशर्ते कि वह ऐसे बच्चे या बच्चों का अभिभावक हो।

(ख) जहां उत्तरजीवी व्यक्ति ऐसे बच्चे या बच्चों का अभिभावक नहीं रह गया हो वहाँ ऐसी परिवार पेंशन ऐसे व्यक्ति को देय होगी जो ऐसे बच्चे या बच्चों का वास्तविक अभिभावक हो।

(ग) इस नियम के अधीन बच्चा या बच्चों के परिवार पेंशन के पात्र नहीं रह जाने पर, उप नियम 15 के परंतुक के अध्यधीन, ऐसी परिवार पेंशन दिवंगत सदस्य के कानूनी रूप से अलग उत्तरजीवी जीवनसाथी को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह जो भी पहले हो तक देय होगी।

(17) (क) यदि कोई व्यक्ति, इस नियम के अंतर्गत सेवा के दौरान सदस्य की मृत्यु पर परिवार पेंशन प्राप्त करने का पात्र होता है, जिस पर सेवा सदस्य की हत्या के अपराध या ऐसे अपराध को करने में सहयोग करने का आरोप लगाया जाएगा, परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्यों का या उस पात्र सदस्य का दावा, उसके विरुद्ध आरम्भ की गई आपराधिक कार्यवाहियों के निर्णय तक निलम्बित रहेगा।

(ख) यदि खण्ड (क) में संदर्भित दण्डनीय कार्यदाहियों के निर्णय पर संबंधित व्यक्ति पर:-

(i) सेवा सदस्य की हत्या करने या उसमें दुष्प्रेषण करने का दोषसिद्ध होता है तो ऐसे व्यक्ति को परिवार पेंशन प्राप्त करने से विवर्जित किया जाएगा और पेंशन सेवा सदस्य की मृत्यु तिथि से परिवार के अन्य पात्र सदस्य को देय होगी।

(ii) सेवा सदस्य की हत्या करने या दुष्प्रेषण करने के आरोप से बरी हो जाता है तो परिवार पेंशन ऐसे व्यक्ति को सेवा सदस्य की मृत्यु की तिथि से देय होगी।

(ग) खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) के उपबंध सेवा सदस्य की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसकी मृत्यु होने पर देय परिवार पेंशन पर भी लागू होंगे।

(18) (क) (i) जैसे ही सेवा सदस्य सरकारी सेवा में आता है वह अनुसूची 'ज' में अपनी परिवार का ब्यौरा कार्यालयाध्यक्ष को देगा।

(ii) यदि सेवा सदस्य का कोई परिवार नहीं है तो जैसे ही वह परिवार बसाता है वह अनुसूची 'ज' में अपने परिवार का ब्यौरा देगा।

सेवा का सदस्य अपने बच्चे की शादी के तथ्य सहित अपने परिवार के आकार में किसी भी

- उत्तरवर्ती परिवर्तन की सूचना कार्यालय प्रमुख को देगा।
  (ग) जब कभी भी उप-नियम (7) के परंतुक में संकेतित विकलांगता किसी बच्चे में प्रकट होती है जो उसे अपनी आजीविका अर्जित करने में असमर्थ बनाती है, तो इस तथ्य को एक चिकित्सा अधिकारी जिसकी रैंक सिविल सर्जन के कम न हो, के उचित रूप से समर्थित चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा कार्यालय प्रमुख के संज्ञान में लाया जाना चाहिए और इसे कार्यालय प्रमुख द्वारा अनुसूची 'जे' में इंगित किया जाए।
- (घ) जब कभी भी परिवार पेंशन का दावा उत्पन्न होता है तो बच्चे के कानूनी अभिभावक को एक चिकित्सा अधिकारी, जिसका रैंक सिविल सर्जन से कम नहीं हो, द्वारा समर्थित एक नए चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ एक आवेदन करना चाहिए कि बच्चा अभी भी विकलांगता से पीड़ित है।
- (ङ) (i) कार्यालय प्रमुख, उक्त अनुसूची 'जे' प्राप्त होने पर इसे सेवा के संबंधित सदस्य की सेवा पृस्तिका पर चिपकाएगा तथा उक्त अनुसूची 'जे' तथा इस संबंध में सेवा के सदस्य से प्राप्त अन्य सभी पत्रों की पावती देगा।
- (ii) परिवार के आकार में किसी भी परिवर्तन के संबंध में सेवा के सदस्य से पत्र प्राप्त होने पर कार्यालय प्रमुख इन परिवर्तनों को अनुसूची 'जे' में समाविष्ट करेगा।
- (19) समय-समय पर यथासंशोधित वित्त मंत्रालय के दिनांक 16 अक्तूबर, 1963 के कार्यालय ज्ञापन सं. 15 (13)-ई.वी.(ए)/63, में स्वीकृत पेंशन में तदर्थ वृद्धि इस नियम के अंतर्गत परिवार पेंशन के प्राप्त होने पर परिवार को देय नहीं होगी।
- (20) इस नियम के प्रयोजनार्थ

(ख)

(क) "लगातार सेवा" का आशय, सेवा के सदस्य द्वारा अस्थायी अथवा स्थायी क्षमता में की गई सेवा होती है तथा इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होते—

- (i) निलंबन की अवधि, यदि कोई हो ; और
- (ii) सेवा की अवधि, यदि कोई हो, जो अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व की गई;

सेवा के सदस्यों के संबंध में "परिवार" का आशय-

- i. सेवा के पुरुष सदस्य के मामले में पत्नी अथवा सेवा की महिला सदस्य के मामले में पति;
- ii. कानूनी तौर पर अलग हुए पत्नी अथवा पति, ऐसी पृथकता परगमन के आधार पर नहीं की गई हो तथा जीवित व्यक्ति परगमन करने का अपराधी नहीं हुआ हो ;
- iii. अविवाहित पुत्र जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो तथा अविवाहित अथवा विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री, कानूनी रूप से गोद लिए हुए ऐसे पुत्र और पुत्री सहित iv. आश्रित माता-पिता;
- v. सेवा के सदस्य का आश्रित निःशक्त सहोदर (अर्थात् भाई या बहन)
- (ग) "वेतन" का आशय -
  - i. 2 (1) (ख ख) में यथासंदर्भित परिलिब्धियां, अथवा
- ii, 2 (1) (क क) में यथासंदर्भित औसत परिलब्धियां, यदि सेवा के दिवंगत सदस्य की परिलब्धियां उसकी सेवा के अंतिय दस महीनों के दौरान शास्ति के अलावा अन्य रूप से कम की गई हों।"
- 13. अनुसूचियों की अनुसूची "जे" के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, नामित :—

## अनुसूची जे [ नियम 22 (11) (क) (i) देखें ]

### परिवार का विवरण:

सेवा के सदस्य का नाम	10 E. 18 ESPECI BEST 1 11 H	e produkt zak	<del>gi iglan yan is</del>	<del>1,71   1,51   1</del>
	di kaji muri.			
पदनाम -	or at the or of	Proc Stock		
7.7		n naki siji k	gara Exi∫x.	
जन्म की तारीख	war and man sta			
<u>r se dia dia dia dia bi</u>				Magazit zan 1a
नियुक्ति की तारीख		9 6	į	The Physical Res
	e balancia	To the state		gage in Till and Kara
को मेरे परि	रेवार का विवरण		en de la	Salata Salata
ज्म सं. परिवार के	जन्म की तारीख	अधिकारी के	कार्यालय प्रमुख	टिप्पणी
सदस्यों के ना	म 🏴	साथ संबंध	के आद्यक्षर	A STATE OF THE STA
47 - 24 - 3	Strategy and the strategy	The area of the	graphs in comme	50

ान :	7.28			Mai	के सदस्य के हस्ताक्ष
	8 2 72	200			
a 187 H	* 98 11 5		53 m. (. 34 - 5		
					e o san Arian Maria II. An Arian II.
	9 es	n je			
		Ny Paris		12 " 200	
चन देता हूं/देर्त	ी हूं।				
। । उपर्युक्त विवर	। ए में किसी भी वृद्धि	। द्वे अथवा परिवर्तन व	ी भी सूचना कार्यालय	प्रमुख को देते हुए	। इसे अद्यतन रखने व
10	1 1 10				
9					- 177 ec
8				5+ 1 1 T A 8 1	1
7					
6			75 X 10 S 60	a).	
5					
4			1- 4		W. 1
3				į.	1 2 1 2 1 1
0	1				

[फा. सं. 29018/16/2012-एआईएस (॥)]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)

पाद टिप्पणी. – मुख्य नियमावली, दिनांक 18 अगस्त, 1958 के जी.एस. आर. सं. 728 [असाधारण भाग ॥, [खंड 3, उप खंड (i)] के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित की गई :—

क्रम सं.	सा.का.नि. सं.	तारीख
1.	526	4.9.64
2.	527	3.4.65
3.	528	3.4.65
4.	529	3.4.65
5.	572	17.4.65
6.	215	12.2.65
7.	1915	17.2.66
8.	590	3.3.68
9.	687	6.7.74
10.	755	2.7.74
11.	946	7.9.74
12.	27(अ)	24.1.75
13.	724	14.6.75
14.	2264	23.8.75
15.	2635	8.11.75
16.	2030	20.12.75
17.	128	31.1.76
18.	196	14.2.76
19	316	6.3.76
20.	504	10.4.76
21.	758	5.6.76
22.	757	5.6.76
23.	1182	14.8.76
24	1765	25.12.76
25.	579	7.5.77
26.	830	2.7.77
27.	831	2.7.77
28.	1598	26.11.77
29.	1700	24.12.77
30.	252	18.2.78
31.	253	18.2.78
32.	460	8.4.78
33.	924	22.7.78
34.	922	22.7.78
35.	214	2.1.79
36.	161 3.2.79	
7.	373	3.2.79

38	3.   1151	15.9.79	
39		22.10.79	SAD DESCRIPTION
40		10.5.80	
41		17.5.80	
42.		17.5.80	
43.		27.9.80	
44.		7.3.81	
45.		14.3.81	
46.	705	1.8.81	
47.	293	9.1.83	
48.	557	3.7.83	AT A COMMON TO THE COMMON TO T
49.	712	1.10.83	A SA
50.	33	21.1.84	
51.	559	15.6.85	
52.	813	31.8.85	
53.	275	22.5.87	
54.	343	3.4.88	
55.	567	16.7.88	
56.	91	25.2.89	
57.	420	21.2.90	
58.	101	16.2.91	
59.	2890	23.11.91	
60.	308	19.6.93	ta first francische in de
61.	271	6.07.96	The same of the same of the
62.			
63.	717(अ) 718(अ)	19.12.97	
64.	710(अ) 249(अ)	19.12.97 13.5.98	
65.			A viscous south a set of the set of
	252(अ)	18.5.98	
66. 67.	259(哥) 548(哥)	22.5.98	
68.	548(광)	31.8.98	<del></del>
69.	719(अ)	7.12.98	
70.	35(哥)	14.1.99	Charles STAR AND AND AND AND A
71.	702(अ)	1.3.2000	
72.	355-(광)	14.5.01	a prostra a di la secono
	524(अ)	11.7.01	and the state of the second
73.	49(अ)	18.1.02	
74.	779(अ)	12.11.02	
75.	385(광)	7.5.03	Property read with 100 piles 11
76.	105(अ)	6.2.04	
77.	820(왕)	20.12.04	the policy of the second second
78.	617(अ)	30.9.05	
79.	699(अ)	-30.11.05	Magdacing and Alexander South and a
80.	727(왕)	20.12.05	
81.	360(अ)	12.6.06	7

82.	20(왕)	12.1.07
83.	58(अ)	31.1.07
84. 184(अ)		9.3.07
85.	585(अ)	28.7.2011
86.	612(3)	9.8.2011

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (Department of Personnel and Training)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 12 th July, 2013

- G.S.R. 492 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, namely:—
- (1) These rules may be called the All India Services (Death-Cum-Retirement Benefits)
   Amendment Rules, 2013.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the All India Services (Death-Cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1),—
  for clause(a), the following shall be *substituted*, namely:—
  - (a) "Accounts Officer" means an officer, whatever his official designation, who maintains the accounts of a Ministry, Department or Office of the Central Government or State Government or Union Territory and includes an Accountant-General, who is entrusted with the functions of maintaining the accounts or part of accounts of the Central Government or State Government or Union Territory;"
  - (b) in clause (aa), after NOTE (vii), the following shall be inserted, namely:-
    - "(viii)—In the case of a member of service who was on earned leave during the last ten months of his service and earned an increment, which was not withheld, such increment though not actually drawn shall be included in the average emoluments":

Provided that the increment was earned during the currency of the earned leave not exceeding one hundred and twenty days or during the first one hundred and twenty days of earned leave where such leave was for more than one hundred and twenty days;";

(c) for clause (bb), the following shall be substituted, namely:

"(bb) Emoluments" means the basic pay, as defined in clause (aa) of rule 2 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007 and other similar rules made for Indian Police Service or Indian Forest Service, as the case may be, that a member of the service was receiving before his retirement or, as the case may be, his death;

(w.e.f. 1st January, 2006) "Emoluments" for the purpose of calculation of retirement or death gratuity, means the basic pay and Dearness Allowance that a member of the service was receiving on the date of his retirement or as the case may be, his death:

Provided that the pension and death-cum-retirement gratuity of those who have elected to continue to draw pay in the pre-revised scale of pay in terms of Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007 (pre-revised) and other similar rules made for Indian Police Service or Indian Forest Services, as the case may be, and have retired from the pre-revised scale of pay on or after the 1st January, 2006, shall be regulated as follows:

- (i) "Emoluments" shall also include Dearness Pay and Dearness Allowance upto average AICPI 536 (Base year 1982—100).
- (ii) Pension as calculated at 50% of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to the employee.
- (iii) Death-cum-retirement gratuity shall be admissible with reference to emoluments at (i) above plus dearness allowance, under the order in force immediately before coming into effect of the All India Services (Death-Cum-Retirement Benefits) Amendment, Rules, 2013. The maximum amount of gratuity shall not exceed Rs. 3,50,000 in terms of Department of Pension and Pensioners' Welfare Office Memorandum No. 45/86/97-P&PW(A)(Part. I) dated 27-10-1997.
- (iv) Commutation of pension shall be admissible in accordance with the orders in force immediately before coming into effect of the All India Services (Death-Cum-Retirement Benefits) Amendment, Rules, 2013.
- (v) Family pension shall be allowed in accordance with orders applicable prior to the All India Services (Death-Cum-Retirement Benefits) Amendment, Rules, 2013 and shall be calculated with reference to basic pay in the pre-revised scale and the family pension so calculated, dearness relief upto average AICPI 536 (Base year 1982 100) at the rate contained in the Department of Pension and Pensioners' Welfare O.M. No. 42/2/2006-P&PW (G), dated 5th April, 2006 shall be included and the amount so arrived at will be regarded as the family pension for regulating payment of dearness relief beyond average AICPI 536.

317/ 91/13-3

military is interes

Provided further that for the purpose of computing average emoluments in the case of member of service who have opted for fixation of pay in the revised pay band and retire within ten months from the date of coming over to the revised pay band, basic pay for ten months period preceding retirement shall be calculated by taking into account pay as follows:

- (A) For the period during which pay is drawn in revised Pay Structure Pay drawn in the prescribed pay band plus the applicable grade pay or the pay in the pay scale in the case of HAG+ and above.
- (B) For the remaining period during which pay is drawn in pre-revised scale of pay -
  - (i) basic pay plus dearness pay and actual Dearness Allowance appropriate to the basic pay at the rates in force as 60 15 January, 2006 drawn during the relevant period;
  - (ii) notional increase of the basic pay by applying the fitment benefit of 40% on the basic pay in the pre-revised pay scale;
- (d) for clause (g), the following shall be substituted, namely:-
  - '(g) "Pay" means the amount drawn monthly by a member of the service as pay in pay band plus grade pay or in a pay scale, other than special pay, against the post held by him at the time of his retirement from service.
- (e) for clause (jj), the following shall be substituted, namely :-
  - '(jj) "Revised scales of pay" means the pay structure or scales of pay introduced with effect from the 1st day of January, 2006, unless specified otherwise'.
- For rule 4 of the said rules, the following shall be substituted, namely:
  - A member of the service cannot earn two pensions in the same post at the same time or by the same continuous service.
  - (2) Except as provided in sub-rule (4) of rule 8, a member of service who, having retired on a superannuation pension or retiring pension, is subsequently re-employed shall not be entitled to a separate pension or gratuity for the period of his re-employment.

In rule 5A of the said rules, in sub-rule (3), the words, figures and letter "or 22B, as the case may be," shall be omitted.

In rule 6 of the said rules, in sub-rule (1), for Note-1, the following shall be substituted, namely:-

"Note-1 - Where a part of the pension is withheld or withdrawn the amount of such pension shall not be reduced below the amount of rupees three thousand five hundred per mensem or

at the rates provided under the corresponding rules of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972".

- 6. In rule 7 of the said rules, in sub rule (2), the words, figures and letters "22A or 22B, as the case may be," the letters "22" shall be substituted.
- 7. Rule 8A of the said rules, shall be omitted.
- 8. In rule 13 of the said rules, in sub-rule (2), the word, figures and letter "or 22B" shall be omitted.
- 9. In rule 18 of the said rules,-
  - (A) in sub-rule (1),-
    - (a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:- "(aa) The dearness allowance admissible on the date of retirement shall also be treated as emoluments for the purpose of sub-rule (1)(a) of this rule";
  - (b) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) In case a member of the service retires from service in accordance with the provisions of these rules, after completing qualifying service of not less than ten years, the amount of pension shall be calculated at fifty per cent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him, subject to a minimum of three thousand and five hundred rupees per mensem and a maximum of forty-five thousand rupees per mensem.";

(B) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:

"18.(1-A) In addition to pension admissible in accordance with clause (b) of sub-rule

(1), after completion of eighty years of age or above, additional pension shall be payable to the retired member of the service in the \_\_\_\_\_ following manner:-

Age of pensioner	Additional pension
From 80 years to less than 85 years	20% of basic pension
From 85 years to less than 90 years	30% of basic pension
From 90 years to less than 95 years	40% of basic pension
From 95 years to less than 100 years	50% of basic pension
100 years or more	100% of basic pension

Explanation.- For the purpose of this rule, in calculating the length of qualifying service, fraction of a year equal to three months and above shall be treated as a completed one half-year and reckoned as qualifying service.";

- (C) In sub-rule (2), in the Second Proviso, for the words, brackets, figures and letters "sub-rule (2) of rule 22B", the words, brackets and figures "sub-rule (2)(iii) of rule 22" shall be substituted.
- 10. In rule 19 of the said rules, -
  - (a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-
    - "19. Retirement or death gratuity."
  - (b) in the proviso to sub-rule 3(a)(i), for the words 'rupees three lakh and fifty thousand", the words "rupees ten lakh" shall be substituted.
    - (c) The proviso to sub-rule 3(a)(ii), the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that the amount of retirement gratuity payable under this clause shall in no case exceed rupees ten lakhs".

11. In the said rules, for rules 22, 22-A, 22-B and 22-C, the following shall be substituted, namely:-

"22 .- Family pension. -

- (1) The provisions of this rule shall apply, -
  - (a) to a member of service appointed to the service on or after the 1st January, 1964; and
  - (b) to a member of service who was in service on the 31st December, 1963 and who opted for the benefits of this rule under the orders issued by the Central Government.

NOTE. - The provisions of this rule shall also extend, from 22<sup>nd</sup> September, 1977, to member of service who retired or died before on the 31<sup>st</sup> day of December, 1963, as also to those who were alive on the 31<sup>st</sup> day of December, 1963, but had opted out of the 1964 Scheme.

- (2) Without prejudice to the provisions contained in sub-rule (5), where a member of service dies, -
  - (i) after completion of one year of continuous service; or
  - (ii) before completion of one year of continuous service:

Provided that the deceased member of service concerned immediately prior to his appointment to the service or post was examined by the appropriate medical authority and declared fit by that authority for Government service; or

3

4.

(iii) after retirement from service and was on the date of death in receipt of a pension, or compassionate allowance, referred to in these rules,

The family of the deceased shall be entitled to family pension under the Family Pension Scheme for State Government or Central Government Employees, 1964, the amount of which shall be determined at a uniform rate of 30% of basic pay subject to a minimum of three thousand and five hundred rupees per mensem and a maximum of twenty-seven thousand rupees per mensem.

EXPLANATION.- The expression 'one year of continuous service' wherever it occurs in this rule shall be construed to include 'less than one year of continuous service' as provided in clause (ii).

The amount of family pension shall be fixed at monthly rates and be expressed in whole rupees and where the family pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee:

Provided that in no case a family pension in excess of the maximum prescribed under this rule shall be allowed.

In addition to family pension admissible in accordance with sub-rule (2), (3) and (5), after completion of eighty years of age or above, additional family pension shall be payable in the following manner:-

Age of family pensioner	Additional family pension
From 80 years to less 85 years	20% of basic family pension
From 85 years to less 90 years	30% of basic family pension
From 90 years to less 95 years	40% of basic family pension
From 95 years to less 100 years	50% of basic family pension
100 years or more	100% of basic family pension

(5)(a) (i) Where a member of service, who is not governed by the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923) dies while in service after having rendered not less than seven years' continuous service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to 50 per cent of the pay last drawn and the amount so admissible shall be payable from the date following the date of death of the member of service for a period of ten years.

(ii) In the event of death of a member of service after retirement, the family pension as determined under sub-clause(a) shall be payable for a period of seven years, or for a period up to the date on which the retired deceased member of service would have attained the age of sixty seven years had he survived, whichever is less:

Provided that in no case the amount of family pension determined under sub-clause (b) shall exceed the pension authorised on retirement from Government service:

Provided further that where the amount of pension authorised on retirement is less than the amount of family pension admissible under sub-rule (2), the amount of family pension determined under this clause shall be limited to the amount of family pension admissible under sub-rule (2).

EXPLANATION.- For the purpose of this sub-clause, pension authorised on retirement includes the part of the pension which the retired member of service may have commuted before his death.

- (b) After expiry of the period referred to in clause (a), the family, in receipt of family pension under that clause, shall be entitled to family pension at the rate admissible under sub-rule (2).
- (6) Where an award under the Extraordinary Pension Rules, 1939, is admissible, no family pension under this rule shall be authorised during the currency of such award.
- (7) The period for which family pension is payable shall be as follows:-
  - (i) subject to first proviso, in the case of a widow or widower, up to the date of death or re-marriage, whichever is earlier;
  - (ii) subject to second proviso, in the case of an unmarried son, until he attains the agc of twenty-five years or until he gets married or until he starts earning his livelihood, whichever is the earliest:
  - (iii) subject to second and third provisos, in the case of an unmarried or widowed or divorced daughter, until she gets married or remarried or until she starts earning her livelihood, whichever is earlier;
  - (iv) subject to sub-rule (12), in the case of parents, who were wholly dependent on the member of service immediately before the death or the member of service, for life;

(v) subject to sub-rule (13) and the fourth proviso, in the case of disabled siblings (i.e., brother and sister) who were dependent on the member of service immediately before the death of member of service, for life:

Provided that family pension shall continue to be payable to a childless widow on re-marriage, if her income from all other sources is less than the amount of minimum family pension under sub-rule (2) of this rule and the dearness relief admissible thereon:

Provided further that if the son or daughter of a member of service is suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to the following conditions, namely:-

- (i) if such son or daughter is one among two or more children of the member of service, the family pension shall be initially payable to the minor children (mentioned in clause (ii) or clause (iii) of this sub-rule) in the order set out in clause (iii) of sub-rule (9) of this rule until the last child attains the age of twenty-five and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from disorder or disability of mind, including the mentally retarded, or who is physically crippled or disabled and shall be payable to him or her, for life;
- (ii) if there are more than one such son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who are physically crippled or disabled, the family pension shall be paid in the order of their birth and the younger of them will get the family pension only after the elder next above him or her ceases to be eligible:

Provided that where the family pension is payable to such twin children it shall be in the manner set out in clause (d) of sub-rule (8) of this rule;

- (iii) the family pension shall be paid to such son or daughter through the guardian as if he or she were a minor except in the case of the physically crippled son or daughter who has attained the age of majority;
- (iv) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the appointing authority shall satisfy that the handicap is of such a nature so as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from a Medical Board comprising of a Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Listitution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of mental or physical disability including mental retardation—setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child;

- (v) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through a guardian shall produce a certificate from a Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of mental or physical disability including mental retardation, once, if the disability is permanent and if the disability is temporary, once in every five years to the effect that he or she continues to suffer from disorder or disability of mind or continues to be physically crippled or disabled;
- (vi) in the case of a mentally retarded son or daughter, the family pension shall be payable to a person nominated by the member of service or the pensioner, as the case may be, and in case no such nomination has been furnished to the Head of Office by such member of service or pensioner during his/lifetime, to the person nominated by the spouse of such member of service or family pensioner, as the case may be, later on and the Guardianship Certificate issued under section 14 of the National Trust Λct, 1999 (No.44 of 1999), by a local level Committee, shall also be accepted for nomination or appointment of guardian for grant of family pension in respect of persons suffering from Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities as indicated in the said Act:

Provided also that the grant or continuance of family pension to an unmarried or widowed or divorced daughter beyond the age of twenty-five years or until she gets married or re-married or until she starts earning her livelihood, whichever is the earliest, shall be subject to the following conditions, namely:-

- (i) the family pension shall be initially payable to the minor children (mentioned in clause (ii) or clause (iii) of this sub-rule) in the order set out in clause (iii) of sub-rule(9) of this rule until the last minor child attains the age of twenty-five years; and
- (ii) there is no disabled child eligible to receive family pension in accordance with the second proviso of this sub-rule:

Provided also that such disabled siblings shall be eligible for family pension for life in the same manner and following the same disability criteria, as laid down in this rule in the case of son or daughter of the member of service or pensioners suffering from any disorder or disability of mind (including mentally retarded) or physically crippled or disabled, so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years.

Explanation 1.- An unmarried son or an unmarried or widowed or divorced daughter, except a disabled son or daughter become incligible for family pension under this sub-rule from the date he or she gets married or remarried.

Explanation 2.- The family pension payable to such a son or a daughter or parents or siblings shall be stopped if he or she or they start earning his or her or their livelihood.

Explanation 3.- It shall be the duty of son or daughter or siblings or the guardian to furnish a certificate to the Treasury or Bank, as the case may be, once in a year that, (i) he or she has not started earning his or her livelihood, and (ii) he or she has not yet married or remarried and a similar certificate shall be furnished by a childless widow after her re-marriage or by the disabled son or daughter or by parents to the Treasury or Bank, as the case may be, once in a year that she or he or they have not started earning her or his or their livelihood.

Explanation 4.- For the purpose of this sub-rule, a member of the family shall be deemed to be earning his or her livelihood if his or her income from other sources is equal to or more than the minimum family pension under sub-rule (2) of this rule and the dearness relief admissible thereon.

Explanation 5.- Parents shall be deemed to be dependent on the member of service if their combined income is less than the minimum family pension under sub-rule (2) of this rule and the dearness relief admissible thereon.

Explanation 6.- Disabled sibling shall be deemed to be dependent on the member of service if their income is less than the minimum family pension admissible under sub-rule (2) of this rule and dearness relief thereon.

Explanation 7.- Family pension payable to a childless widow shall be stopped if, after remarriage, her income from all other sources becomes equal to, or exceeds, the amount of minimum family pension under sub-rule (2) of this rule and the dearness relief admissible thereon.

- (8)(a) (i) Where the family pension is payable to more widows than one, the family pension shall be paid to the widows in equal shares.
  - (ii) On the death of a widow, her share of the family pension shall become payable to her eligible child:

Provided that if the widow is not survived by any child, her share of the family pension shall not lapse but shall be payable to the other widows in equal shares, or if there is only one such other widow, in full, to her.

(b) Where the deceased member of service or pensioner is survived by a widow but has left behind eligible child or children from another wife who is not alive, the eligible child or

3171 46/13-1-4

children shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received if she had been alive, at the time of the death of the member of service or pensioner.

Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows or to other child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child.

Where the deceased member of service or pensioner is survived by a widow but has left behind eligible child or children from a divorced or an illegally wedded wife or wives, the eligible child or children shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received at the time of the death of the member of service or pensioner had she not been so divorced or had she been legally wedded:

Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares, shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows or to the other child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child.

Note.- In past cases, no recovery from the previous beneficiary should be made. On receipt of an application from eligible child or children of the member of service or pensioner born to an ineligible mother, a decision regarding division or otherwise of family pension may be taken by the competent authority after satisfying himself or herself about veracity of facts and entitlement of the applicant.

(d) Where the family pension is payable to twin children it shall be paid to such children in equal shares:

Provided that when one such child ceases to be eligible his share shall revert to the other child and when both of them cease to be eligible the family pension shall be payable to the next eligible single child or twin children.

- (9) (i) Except as provided in sub-rule (8), the family pension shall not be payable to more than one member of the family at the same time,-
  - (i) if a deceased member of service or pensioner leaves behind a widow or widower, the family pension shall become payable to the widow or widower, failing which to the eligible child;

(ii) family pension to the children shall be payable in the order of their birth and the younger of them will not be eligible for family pension unless the elder next above him has become ineligible for the grant of family pension:

Provided that where the family pension is payable to twin children it shall be paid in the manner set out in clause (d) of sub-rule (8) of this rule.

- Where a deceased member of service or pensioner leaves behind more children than one, the eldest eligible child shall be entitled to the family pension for the period mentioned in clause (ii) or clause (iii) of sub-rule (7), as the case may be, and after the expiry of that period the next child shall become eligible for the grant of family pension.
- Where family pension is granted under this rule to a minor, it shall be payable to the guardian on behalf of the minor.
- (12) (a) Family pension to the parents shall be payable if the parents were wholly dependent on the member of service immediately before his death and the deceased member of service is not survived by a widow or an eligible child.
  - (b) The family pension, wherever admissible to parents, will be payable to the mother of the deceased member of service failing which to the father of the deceased member of service.
- (13) Family pension to the dependent disabled siblings shall be payable if the siblings were wholly dependent upon the member of service immediately before his death and deceased member of service is not survived by a widow or an eligible child or eligible parents.
  - In case both wife and husband are members of service and are governed by the provisions of this rule and one of them dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased shall become payable to the surviving husband or wife and in the event of the death of the husband or wife, the surviving child or children shall be granted the two family pensions in respect of the deceased parents, subject to the limits specified below, namely:-
    - (a) (i) if the surviving child is eligible to draw two family pensions at the rate mentioned in sub-rule (5), the amount of both the pensions shall be limited to forty-five thousand rupees per mensem;
      - (ii) if one of the family pensions ceases to be payable at the rate mentioned in sub-rule (5), and in lieu thereof the pension at the rate mentioned in sub-rule (2) becomes payable, the amount of both the pensions shall also be limited to forty-five thousand rupees per mensem;

- (b) if both the family pensions are payable at the rates mentioned in sub-rule (2), the amount of two pensions shall be limited to twenty-seven thousand rupees per mensem.
- Where a female member of service or male member of service dies leaving behind a judicially separated husband or widow and no child or children, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the person surviving:

Provided that where in a case the judicial separation is granted on the ground of adultery and the death of the member of service takes place during the period of such judicial separation, the family pension shall not be payable to the person surviving if such person surviving was held guilty of committing adultery.

- (16) (a) Where a female member of service or male member of service dies leaving behind a judicially separated husband or widow with a child or children, the family pension payable in respect of deceased shall be payable to the surviving person provided he or she is the guardian of such child or children.
  - (b) Where the surviving person has ceased to be the guardian of such child or children, such family pension shall be payable to the person who is the actual guardian of such child or children;
  - Subject to the proviso to sub-rule 15, after the child or children cease to be eligible for family pension under this rule, such family pension shall become payable to the surviving judicially separated spouse of the deceased member of service till his or her death or remarriage whichever is earlier.
- (17) (a) If a person, who in the event of death of a member of service while in service, is eligible to receive family pension under this rule, is charged with the offence of murdering the member of service or for abetting in the commission of such an offence, the claim of such a person, including other eligible member or members of the family to receive the family pension, shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him.
  - (b) If on the conclusion of the criminal proceedings referred to in clause (a), the person concerned -
    - (i) is convicted for the murder or abetting in the murder of the member of service, such a person shall be debarred from receiving the family pension

- which shall be payable to other eligible member of the family, from the date of death of the member of service,
- (ii) is acquitted of the charge of murder or abetting in the murder of the member of service, the family pension shall be payable to such a person from the date of death of the member of service.
- (c) The provisions collause (a) and clause (b) shall also apply for the family pension becoming payable on the death of a member of service after his retirement.
- (18) (a) (i) As soon as a member of service enters Government service, he shall give details of his family in Schedule 'J' to the Head of Office.
  - (ii) If the member of service has no family, he shall furnish the details in Schedule 'J' as soon as he acquires a family.
  - (b) The member of service-shall communicate to the Head of Office any subsequent change in the size of his family, including the fact of marriage of his child.
  - (c) As and when the disability referred to in the proviso to sub-rule (7) manifests itself in a child which makes him unable to earn his living, the fact should be brought to the notice of the Head of Office duly supported by a Medical Certificate from a Medical Officer, not below the rank of a Civil Surgeon and this may be indicated in Schedule 'J' by the Head of Office.
- (d) As and when the claim for family pension arises, the legal guardian of the child should make an application supported by a fresh medical certificate from a Medical Officer, not below the rank of Civil Surgeon, that the child still suffers from the disability.
- (e) (i) The Head of Office shall, on receipt of the said Schedule 'J', get it pasted on the service book of the member of service concerned and acknowledge receipt of the said Schedule 'J' and all further communications received from the member of service in this behalf.
  - (ii) The Head of Office on receipt of communication from the member of service regarding any change in the size of family shall have such a change incorporated in Schedule 'J'.
- (19) The ad hoc increase in pension, sanctioned in the Ministry of Finance, Office Memorandum No. 15 (13)-E.
  V. (A)/63, dated the 16th October, 1963, as amended from time to time, shall not be payable to the family in receipt of a family pension under this rule.
- (20) For the purposes of this rule, -
  - (a) "continuous service" means service rendered in a temporary or permanent capacity by member of service and does not include –

- (i) period of suspension, if any; and
- (ii) period of service, if any, rendered before attaining the age of eighteen years;
- (a) "family" in relation to a member of service means-
- (i) wife in the case of a male Member of service, or husband in the case of a female member of service;
- (ii) a judicially separated wife or husband, such separation not being granted on the ground of adultery and the person surviving was not held guilty of committing adultery;
  - (iii) unmarried son who has not attained the age of twenty-five years and unmarried or widow or divorced daughter, including such son and daughter adopted legally;
  - (iv) dependent parents;
- (v) dependent disabled siblings (i.e., brother or sister) of a member of service.

### (b) "pay" means -

- (i) the emoluments as specified in 2(1)(bb), or
- (ii) the average emoluments as referred to in 2(1)(aa) if the emoluments of the deceased member of service have been reduced during the last ten months of his service otherwise than as penalty.".

13. For Schedule 'J' of the Schedules, the following shall be substituted, namely:-

## SCHEDULE J [See rule 22(11)(a)(i)]

Details of Family:

Name of the member of service	
Designation	
Date of birth	
Date of appointment	

Deta	ails of my family as or	1		6	
Serial	Name of the members of family	Date of birth	Relationship with the officer	Initial of the	Remarks
1					
2	-				P) :P)
3					
4					
5		-,			,
6	4.1				9
7					
8			-		
9					
10					
	eby undertake to kee ion or alternation.	o the above partic	culars up-to-date l	by notifying to the	Head of the Office any
	T		la .		
			a 4 m	S	ignature of Member of Service
Place			¥		
Date:					
	nily for this purpose n			o) of sub-rule (20) o	of rule 22 of the All India
NOTE Wife a	nd husband shall incl	ude respectively	judicially separate	ed wife and husbar	nd
					(*)

[PART II—SEC. 3(i)]

[F.No.29018/16/2012-AIS(II)]

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Director (Services)

Footnote. - The principal rules were published in the Gazette of India, vide G.S.R. No.728 [Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i)] dated 18<sup>th</sup> August, 1958 and subsequently amended by the following notifications:-

SI.No.	GSR No.	Date	
1.	526	4.9.64	
2.	527	3.4.65	
3.	528	3.4.65	
4.	529	3.4.65	
5.	572	17.4.65	
6.	215	12.2.65	
7.	1915	17.2.66	
8.	590	3.3.68	
9.	687	6.7.74	
10.	7.55	2.7.74	
11.	946	7.9.74	
12.	27(E)	24.1.75	
13.	7.24	14.6.75	
14.	2264	23.8.75	
15.	2635	8.11.75	
16.	2030	20.12.75	
17.	128	31.1.76	
18.	196°	14.2.76	
19.	316	6.3.76	
20.	504	10.4.76	
21.	7.58	5.6.76	
22.	757	5.6.76	
23.	1182	14.8.76	
24.	1765	25.12.76	
25.	579	7.5.77	
26.	830	2.7.77	
27	831	2.7.77	
28.	1598	26.11.77	
29.	1700	24.12.77	
30.	252	18.2.78	
31.	253	18.2.78	
32.	460	8.4.78	
33.	924	22.7.78	
34.	922	22.7.78	
35.	214	2.1.79	
36.	161	3.2.79	
37	373	3.2.79	
38.	1151	15.9.79	
39.	1291	22.10.79	
40.	512	10.5.80	
41.	545	17.5.80	
42.	546	17.5.80	

43.	978	27.9.80
44.	248	7.3.81
45.	276	14.3.81
46	705	1.8.81
47.	293	9.1.83
48.	557	3.7.83
49.	712	1.10.83
50.	33	21.1.84
51.	559	15.6.85
52.	813	31.8.85
53.	275	22.5.87
54.	343	
55.	567	3.4.88
56.		16.7.88
	91	25.2.89
57.	420	21.2.90
58.	101	16.2.91
59.	2890	23.11.91
60.	308	19.6.93
61.	271	6.07.96
62.	717(E)	19.12.97
63.	718(E)	19.12.97
64.	249(E)	13.5.98
65.	252(E)	18.5.98
66.	259(E)	22.5.98
67.	548(E)	31.8.98
68.	719(E)	7.12.98
69.	35(E)	14.1.99
70.	702E	1.9.2000
71.	355-E	14.5.01
72.	524(E)	11.7.01
73.	49(E)	18.1.02
74.	779(E)	12.11.02
75.	385(E)	7.5.03
76.	105(E)	6.2.04
77:	820(E)	20.12.04
78.	617(E)	30:9.05
79.	699(E)	30.11.05
80.	727(E)	20.12.05
81.	360(E)	12.6.06
82.	20(E)	12.1.07
83.	58(E)	31.1.07
34.	184(E)	9.3.07
35.	585(E)	28.7.2011
36.	612(E)	9.8.2011
-	1 O IZ(L)	3.0.2011